# अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

**वाद सं0–171 / 2020**

**खिरिया देवी वगैरह —बनाम्— विकाश कुमार वर्मा वगैरह**

## आदेश

26.10.2020 थाना प्रभारी, हिरोडीह के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर वाद की सुनवाई की गयी।

प्रथम पक्ष की ओर से हिस्सेदारी में प्राप्त भूमि के रोड में चले जाने तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बिक्री करने के बावजूद प्रथम पक्ष के हिस्से की भूमि को जाली कागजात के आधार पर जबरन दखल करने को प्रयासरत द्वितीय पक्ष के विरूद्ध जारी निषेधाज्ञा को निरपेक्ष करने एवं स्वयं से रिक्त करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से पूर्व में ही भूमि का बँटवारा हो जाने के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहने के बावजूद प्रथम पक्ष द्वारा अनावश्यक रूप से कार्यवाही प्रारंभ कराये जाने का उल्लेख कर जारी निषेधाज्ञा को प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने एवं स्वयं से रिक्त करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने एवं प्रतिवेदन तथा कागजात के अवलोकन से पक्षकारों के बीच आपसी हिस्सेदारी को लेकर विवाद रहना स्पष्ट है, जिसका निदान वस्तुतः सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में रहने की स्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह0 26/10/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

लेखापित एवं संशोधित

ह0 26/10/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:00:08 +05:30
Location: 192.168.1.3